न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 02/2018 **(Rcms no. 2018/00003)**

उनवानी प्रकरण :–

1. रामवीर पुत्र शंकर जाति ब्राहमण निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 6.9.2017 तहसीलदार बसेडी प्र. सं. 19/2017 उनवानी राज0 सरकार बनाम रामवीर अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री दिलीप शर्मा अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार ।

निर्णय दिनांक :–28.5.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 6.9.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का बौरेली ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नम्बर 757, 758 रकवा 2.38 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ताल पर फसल खरीफ सम्वत् 2074 में पक्का अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी किये व अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन ताल की जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलान्ट की स्वंय की खातेदारी की जमीन है जिसमें तिवरिया बनी है और बोरिंग हो रहा है अपीलान्ट का दिनांक 14.01.2017 को कब्जा हटा दिया था उसके बाद में अपीलान्ट ने कब्जा नहीं किया है। पैमाइश की जाकर स्वंय मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में देख सकते है। अपीलान्ट को अनुपस्थित दिखाकर पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये जाकर लगान का 50 गुना शास्ती 547/–रूपये अधिरोपित की जाकर आदेश दिनांक 6.9.2017 पारित किया गया है। आदेश खिलाफ कायदा कानून व रूवेदार मिसिल होने से लायक खारिजी के हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के कब्जे का जो आधार माना है वह गलत व अपर्याप्त है। जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये गये हैं उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है इस प्रकार निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट

जिला कलक्टर
धौलपुर

में जो अतिक्रमण बताया है वह अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में है, फिर भी यदि मौके पर नाप कराई जावे व अपीलान्ट का अतिक्रमण निकलता है तो वह छोडने को तैयार है। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा मौके व वास्तविकता के विपरीत की गई है अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है इस बावत शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। उक्त फैसले की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.11.2017 को हुई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2017 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 06.09.2017 नकल फोटो प्रति आदेश दिनांक 21.12.2017 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये है जो खिलाफ कानून एवं न्याय संगत नहीं है। धारा 91(6) की कार्यवाही करने से पूर्व तहसीलदार को जिला कलक्टर से पूर्व अनुमति लेनी होती है। बिना पूर्व अनुमति लिये तहसीलदार 91(6) की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 6.9.2017 को 91 (6) की कार्यवाही के आदेश दिये तथा दिनांक 6.10.2017 को धारा 91(2) के तहत कार्यवाही के आदेश दिये हैं इस प्रकार दोनों कार्यवाही एक साथ नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 369/2017 की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपीलान्ट के विरूद्ध बलपूर्वक/प्रतिरोधी कार्यवाही नही किये जाने के निर्देश दिये है।

अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन ताल की जगह पर कोई अतिक्रमण नही किया है बल्कि अपीलान्ट की स्वंय की खातेदारी की जमीन है। अपीलान्ट का दिनांक 14.01.2017 को कब्जा हटा दिया था उसके बाद में अपीलान्ट ने कब्जा नहीं किया है। पैमाइश की जाकर स्वंय मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में देख सकते है। अपीलान्ट को अनुपस्थित दिखाकर पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये जाकर लगान का 50 गुना शास्ती 547/–रूपये अधिरोपित की जाकर आदेश दिनांक 6.9.2017 पारित किया गया है। जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नही कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये गये है उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो अतिक्रमण बताया है वह

जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे ।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई है अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.8.2017, 26.8.2017 एवं निर्णय दिनांक 06.09.2017 को स्वंय उपस्थित था जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट से होती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक से पूर्व एवं निर्णय दिनांक को स्वंय उपस्थित था उसको यदि पटवारी से जिरह एंव साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय की मॉग करनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट ने जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मॉग की हो तथा अधीनस्थ न्यायालय ने समय नही दिया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2017 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि:–

1. यह तथ्य सही कि है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है ।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई है क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.8.2017, 26.8.2017 एवं निर्णय दिनांक 6.9.2017 को स्वंय उपस्थित था जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट से होती है ।
3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक से पूर्व एवं निर्णय दिनांक को स्वंय उपस्थित था उसको यदि पटवारी से जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय की मॉग करनी चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं

जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट ने जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मॉग की हो तथा अधीनस्थ न्यायालय ने समय नहीं दिया हो।

4- पटवारी हल्का के बयान प्रफोर्मा पर लिये गये हैं जो न्याय संगत नहीं है। जो प्रभावहीन हो जाते हैं ।

5- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय में पैरा नम्बर 2 में अकिंत किया है कि अप्रार्थीयान स्वयं उपस्थित आये तथा अतिक्रमण स्वीकार /अस्वीकार किया। इससे यह स्पष्ट नही हो रहा है कि अतिक्रमण स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार होना बताया है। पैरा नम्बर 3 में अकिंत है कि अप्रार्थीयान नोटिस की नियमानुसार तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। जबकि आर्डरशीट पर हो रहे अपीलान्ट के उपस्थित के हस्ताक्षर हो रहें हैं इस प्रकार निर्णय में विरोधाभास है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया गया है जो स्वंतः ही प्रभावहीन हो जाता है।

6- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है उस पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपीलान्ट के विरूद्ध बलपूर्वक /प्रतिरोधी कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्देश दिये है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 6.9.2017 त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाना एवं अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.9.2017 अपास्त किया जाता है। तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार बसेडी को प्रति प्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर